प्रौढ़ व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय नीति

6706. **श्री संघ प्रिय गौतम** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रौढ़ व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय नीति को अंतिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ;

(ग) इस नीति को कब से कार्यान्वित किया जाएगा तथा उक्त नीति के अंतर्गत देश के प्रौढ़ व्यक्तियों को क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और क्या इन सुविधाओं में उन्हें मासिक पेंशन एवं प्रौढ़ आवास की सुविधा भी प्रदान की जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलंब के क्या-क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (घ) प्रौढ़ों के कल्याण पर कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित एक अन्तर मंत्रालयी समिति द्वारा तैयार किया गया राष्ट्रीय नीति का प्रारुप, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों, विशेषज्ञ निकायों और गैर-सरकारी संगठनों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया है। प्रौढ़ों के कल्याण पर प्रारूप राष्ट्रीय नीति की मुख्य विशेषताएं विवरण में दर्शाई गई हैं, **(नीचे देखिए)** अधिकांश राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की टिप्पणियां/विचार अभी भी प्रतीक्षित हैं, इसलिए इस समय इसके कार्यान्वयन के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी जा सकती।

विवरण

प्रौढ़ों के कल्याण पर प्रस्तावित राष्ट्रीय नीति की मुख्य विशेताएं :—

1. प्रौढ़ महिलाओं की स्थितियों पर जिनकी आय पुरुष से कम है और जिनकी निरन्तर मातृत्व और पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते रोजगार समाप्त हो गया है, उन पर सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक कार्यक्रमों में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

2. असगठित क्षेत्रों में अंशकालिक या अवैतनिक आधार पर रोजगार देने के लिए अनुरूप स्थितियां सृजित करके प्रौढ़ व्यक्तियों की समाज के आर्थिक क्षेत्र में भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के प्रयास किए जाने चाहिएं ।

3. नई रोजगार सम्भावनाओं का सृजन करके प्रौढ़ व्यक्तियों को स्वतंत्र रोजगार में वापसी या उसकी तलाश करने में सहायता के उपाय किए जाने चाहिएं।

4. देश में बेरोजगारी की समस्याएं प्रबल होने के बावजूद कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु, स्वैच्छिक आधार को छोड़कर, कम नहीं की जानी चाहिए।

5. आठवीं पंचवर्षीय योजना में विशेष सामाजिक समस्याओं पर कार्यदल द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर संगठनात्मक ढांचा और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन हेतु स्वीकार किया जाना चाहिए जिसमें (1) वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय बोर्ड (2) उनके लिए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना करना (3) योजनाओं के लिए नीतियां और सामाजिक कार्यक्रम तैयार करना यथा वयोवृद्धों के लिए गृहों का निर्माण, इन गृहों में निराश्रित वयोवृद्धों का अनुरक्षण वयोवृद्धों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए दिवा देखभाल केन्द्र, उनके लिए फोस्टल देखभाल सेवाएं आदि शामिल हैं।

6. राज्य स्तर पर वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु समिति का गठन।

7. स्कूल और कालेज स्तरों पर युवाओं में वयोवृद्धों की बदलती जरूरतों और उनके महत्व के बारे में कि वे परिवार व समुदाय के अंतरंग भाग है, पाठ्यचर्चा के माध्यम से भावना जागृत करने के प्रयास किए जाएंगे।

8 परिवारों, विशेष रूप से निम्न आय समूह वाले परिवारों को अपने वयोवृद्धों का अनुरक्षण जारी रखने के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी कार्यक्रमों

के माध्यम से वित्तीय व अन्य सामाजिक समर्थन प्रदान किया जाना चाहिए।

9. वयोवृद्धों को स्वयं अपने स्वैच्छिक संगठनों व सहकारिताओं को बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

10. वयोवृद्धों को फ्लैटों का भूतल प्रदान करके उन्हें सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिएं। उनसे अस्पतालों में पंक्ति में खड़े होने की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए।

11. स्थानीय निकायों को सभी वर्गों के वयोवृद्धों की बहुत विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समान सेवाओं सहित सामूहिक मकानों का निर्माण करना चाहिए।

12. उस असंगठित क्षेत्र व समाज के लिए जिसमें नियमित पेन्शन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ शामिल नहीं है, कार्यक्रमों और नीति-प्रोत्साहनों को तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

13. वृद्धावस्था रोगों के लिए अस्पतालों में ओ.पी.डी. खोले जाएं और कम से कम 5 प्रतिशत बिस्तर उनके लिए आरक्षित किए जाएं। बड़े नगरों में वयोवृद्धों के लिए ट्रांजिट अस्पताल भी स्थापित किए जाने चाहिएं।

Setting up an National Trust for retarded children

6707. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up a National Trust for mentally retarded and spastic children in the country for the welfare of persons suffering from mental retardation and cerebral palsy;

(b) if so the details thereof and if not, the reasons therefor; and

(c) the steps taken by Government with regard to initiate rehabilitation, education and employment programmes for the disabled persons in the different States of the country particularly in the State of Punjab?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) to (c) The Ministry of Welfare has introduce a Bill for setting up a National Trust for the Welfare of Persons with Mental Retardation and Cerebral Palsy in the Parliament for consideration.

The Minister of Welfare gives grant-in-aid to the Volunary Organisations for education, vocational training, employment and rehabilitation of the disabled persos under the following schemes:—

Scheme	No. of NGOs assisted during 1994-95 in Punjab
(a) Assistance to Organisation fo the Disabled.	6
(b) Assisted to Organisations for Rehabilitation of Leprosy-cured Persons	1
(c) Assistance to Organisations for Establishment of Special Schools	1
(d) Assistance to Organisations for Manpower Development in the field of Cerebral Palsy and Mental Retardation.	NIL

Grants for projects for disabled

6708. DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether there is inordinate delays in releasing grants for projects meant for disabled persons;

(b) whether Government are aware that the continuing grant-in-aid being given to Matru Seva Singh of Nagpur for their running project